बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ०–03–04 / 2025(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..................................

सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक–144 दिनाक–19 01 2023 द्वारा डॉ० कुमारी कल्पना सिह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतनवा, बगहा–02, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भभुआ, कैमुर के विरूद्ध प्रायः कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1004(9) दिनांक–15 09 2023 के द्वारा डॉ० सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्राक–246(9) दिनांक–19.03.2025 द्वारा डॉ० सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की मॉग की गयी।

3. जिसके अनुपालन में डॉ० सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत करायी गयी है कि वे कुछ दिन माता–पिता के अवस्थता के कारण संस्थागत प्रभारी को सूचित कर अवकाश मे गयी थी। उन्हे जनवरी 2021 से फरवरी 2021 एवं नवम्बर 2021 से दिसम्बर 2022 तक का वेतन आवटन के अभाव मे भुगतान नहीं किया गया है।

4. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनाटॉड, बगहा–02, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक–818 दिनाक–10.12 2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ० सिंह दिनांक–06.04.2022, 27.04.2022, 20.08.2022, 12.09.2022 से 23.09.2022 तक, दिनांक–09.12.2022 से 20.12.2022 तक एवं दिनांक–24.12.2022 व 07.01.2023 को कर्तव्य पर अनुपस्थित थी। उन्हें जनवरी 2021 से फरवरी 2021 का आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022–23 का भुगतान नहीं किया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ० सिंह के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक–06.04.2022, 27 04.2022, 20.08.2022, 12.09.2022 से 23.09.2022 तक, दिनांक– 09.12.2022 से 20.12.2022 तक एवं दिनांक–24.12.2022 व दिनांक–07. 01.2023 को कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डॉ० कुमारी कल्पना सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतनवा, बगहा–02, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भभुआ, कैमुर के विरूद्ध कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन असचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव। कृ०पृ०उ०

12/06/2025

(15)

ज्ञापांक–9/आ०–03–04/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–03–04/2025(स्वा0) 638(9) /पटना, दिनांकः– 19.06.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कैमुर/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कैमुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 17 एव 18A स्थापना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० कुमारी कल्पना सिह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतनवा, बगहा–02, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भभुआ, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/06/2026

सरकार के अवर सचिव।